128/2024

9-10-25 पत्रावली पेश हुई

प्रार्थी वकील उपस्थित

विपक्षीगण को सुनवाई हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है

वकील प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सी पी सी के तहत वास्ते आवेदन पुनःबरामद किये जाने बाबत पर बहस सुनी गई। दौरान बहस वकील प्रार्थीगण ने तर्क दिया कि प्रार्थीगण का मुकदमा वाद माननीय न्यायालय में दिनांक 12.06.2024 को सुनवाई हेतु नियत थी वादी अधिवक्ता अन्य न्यायालय में व्यस्त रहने से न्यायालय हाजा हुए पेशी तारीख 12.06.2024 को अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज कर दिया गया, प्रार्थीगण के आवेदन के खारिज होने की जानकारी होने पर अधिवक्ता आवेदन को पुनः बरामद किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया, इस प्रकार उक्त वाद गुणावगुण के आधार पर निस्तारित किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए पुनः बरामद योग्य है। यदि माननीय न्यायालय द्वारा यदि आवेदन को पुनः बरामद नहीं किया जाता है तो प्रार्थीगण के साथ अन्याय हो जावेगा। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवेदन पुनः बरामद किया जाने का आदेश फरमावें जावे।

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया और प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं मूल पत्रावली का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया गया। जिसमें पाया की प्रार्थीगण का आवेदन दिनांक 12.06.2024 को सुनवाई हेतु नियत था। लेकिन नियत पेशी तारीख पर प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के अधिवक्ता के हाजिर नहीं होने पर प्रार्थीगण का आवेदन अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज किया गया। चूंकि प्रार्थीगण के अधिवक्ता की ओर से आवेदन को पुनः बरामद किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है और माननीय न्यायालय का यह मानना है, कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए एवं प्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ताकि वे अपने हक हकूको के लिए सम्पूर्ण पैरवी कर सके। उपरोक्त विवेचन के उप[illegible] कि प्रार्थीगण आवेदन पुनः बरामद किया जाना न्यायोचित है।

लिहाजा न्यायहित में प्रार्थीगण क[illegible] सी.पी.सी. वास्ते आवेदन पुनः बरामद किया जाना स्वीकार किय[illegible]कर न्यायालय के आदेश दिनांक 12.06.2024 को निरस्त किया जाकर प्रार्थीगण का आवेदन पुनः बरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है।।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधि[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:13:30 IST
Reason: SelfAttested